ट्रेड यूनियन कानून – 1926

(Trade Union Act. – 1926)

(1) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

भारत में ट्रेड यूनियनों की शुरूआत उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हो गई थी। सन् 1875 में मुम्बई में सोहराज जी शापुर जी ने उद्योगों में श्रमिकों की दुर्दशा – विशेषकर स्त्रियों और बच्चों की स्थिति से प्रभावित होकर श्रमिक आन्दोलन शुरू किया। सन् 1882 से 1890 के बीच केवल चेन्नई और मुम्बई में 25 हड़तालें दर्ज की गई। सन् 1890 में एन.एम.लोखाण्डे ने ''मुम्बई मिलहैण्ड संस्था'' गठित की। सन् 1891 में कारखाना कानून बना। किन्तु श्रमिकों को अपना संगठन बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिये कोई कानून नहीं था।

1918 में पी.बी.वाडिया ने चेन्नई के निकट चूली में श्रमिकों के लिये काम किया। उन्हें मालिकों और सरकार ने बहुत प्रताड़ित किया। उसने चेन्नई लेबर यूनियर बनाई जिसकी एक वर्ष में चार शाखायें और 20,000 सदस्य हो गये। इसी अवधि में 1917 में अहमदाबाद में कु.अनुसुइसा साराभाई ने श्रमिकों को संगठित करके हड़ताल करवाई। सन् 1920 में महात्मा गाँधी ने अहमदाबाद में स्पिनिंग एण्ड वीवर्स एसोसिएशन बनाया। इस बीच रेलों पर भी 1897 से कई यूनियनें बन चुकी थी। सन् 1925 में रेलवे में आल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन भी बन गया था। यह पर्याप्त शक्तिशाली संगठन था।

1920 में अखिल भारतीय स्तर पर आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उदय हुआ। यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध थी। महात्मा गाँधी के अलावा उस समय लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सी.एफ.एण्ड्रयूज जैसे महापुरूषों का सहयोग और आशीर्वाद यूनियनों को प्राप्त था। अतः लाचार होकर ब्रिटिश सरकार को 1926 में ट्रेड यूनियनों के लिये एक कानून बनाना पड़ा। उससे पहले ट्रेड यूनियन नेताओं को दूसरे अपराध कानूनों के अन्तर्गत यातनायें दी जाती थीं।

इस कानून में अधिक परिवर्तन नहीं हुये। सन् 1947 में संशोधन किया गया जो गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बावजूद लागू नहीं हो सका। सन् 1982 के बिल द्वारा फिर एक नाकाम कोशिश हुई। वर्तमान कानून की मुख्य बातें यहाँ दी जा रही हैं।

(2) उद्देश्य :

इस कानून का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों की रजिस्टरी करने की व्यवस्था करना है और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों के बारे में किसी हद तक कानून स्पष्ट करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया है। इस कानून से यूनियनों को बल मिलता है और कुछ कायदे पालन करने की सीमा भी।

(3) यूनियन की रजिस्टरी (धारा 4) :

कुल 07 कर्मचारी मिलकर यूनियन के पंजिकरण के लिये अर्जी दे सकते हैं। उनमें से आधे बाद में नाम वापिस ले लें तो भी अर्जी निरस्त नहीं होती। कोई भी यूनियन तभी रजिस्टर्ड रह सकती है जब हर समय दस प्रतिशत या 100 कर्मचारी, जो भी कम हो, इस यूनियन के सदस्य हों।

(4) ट्रेड यूनियन की अपनी नियम व्यवस्था (धारा 6) :

रजिस्टरी के पहले यूनियन को अपने नियम बना लेने होते हैं। जिनमें ये बातें होना जरूरी हैं– नाम, उद्देश्य, किन कामों पर फण्ड खर्च होगा, सदस्यों की सूची, सदस्यों के द्वारा निरीक्षण की सुविधा, साधारण सदस्यों को प्रवेश – जो उसी उद्योग से होंगे, कार्यकारिणी के 50 प्रतिशत सदस्य से अधिक बाहर के नहीं हो सकते, यूनियन का चंदा (जो बारह रूपये प्रतिवर्ष से कम नहीं हो सकता) वे शर्तें जिनमें सदस्य को सुविधायें मिलती या समाप्त होती हैं, कार्यकारिणी की नियुक्ति या बर्खास्तगी, फण्ड की सुरक्षा, यूनियन समाप्त होने के प्रकार।

(5) ट्रेड यूनियन की सामान्य सुविधायें :

रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक संस्था हैं, जो सम्पत्ति खरीद सकती है, चलती रहती है, मुकदमे कर सकती है, किन्हीं मुकदमों से बच सकती है (धारा 17, 18) राजनीतिक उद्देश्यों के लिये अलग से फण्ड बना सकती है (धारा 16) इत्यादि।

(6) वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना :

धारा 28 के अनुसार हर यूनियन को अपनी प्राप्ति और खर्च का वार्षिक विवरण, पदाधिकारियों की सूची, नियमों में परिवर्तन आदि रजिस्ट्रार को देने होते हैं।

(7) यूनियनों की सदस्यता की जाँच :

यूनियनों को निम्नलिखित सुविधायें मिलती हैं :

1. मैनेजमेण्ट द्वारा मान्यता,
2. विभिन्न बोर्डों का समितियों में प्रतिनिधित्व,
3. भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व, और
4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व।

इन कारणों से यह और भी जरूरी हो जाता है कि उनकी सदस्य सीमा की जाँच होती रहे। पिछली जाँच 31 दिसम्बर 1980 की सदस्यता के आधार पर की गई थी। इस जाँच में 10 प्रतिशत रसीदों के अधपन्ने ऐसे चेक किये जाते हैं और सदस्यता यदि जाली पाई गई तो एक जाली सदस्यता के लिये 10 सदस्य कम कर दिये हैं। इसके बाद 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सदस्यों से काम की जगह जाकर पूछा जाता है कि वे सदस्य हैं या नहीं उनके मना करने पर भी अनुपात में सदस्यता घटाकर जोड़ी जाती है।

(8) अखिल भारतीय स्तर पर यूनियनें :

अखिल भारतीय स्तर की यूनियन वह मानी जाती है जिसमें चार उद्योगों और 4 राज्यों में कम से कम पाँच लाख सदस्य हों। 31.12.1980 की जाँच के बाद अखिल भारतीय स्तर पर इस सीमा में कुल चार यूनियनें आती हैं। इनके विवरण इस प्रकार है –

	नाम	जाँच के बाद सम्बद्ध यूनियनें	सदस्य
1.	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1604	22,36,128
2.	भारतीय मजदूर संघ	1333	12,11,345
3.	हिन्द मजदूर संघ	426	7,62,882
4.	यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारिणी)	134	6,21,359

एक लाख से अधिक सदस्यों वाली अन्य यूनियनें : नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशनल कमेटी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेण्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस।

(9) रेलवे द्वारा यूनियनों को दी जाने वाली सुविधायें :

1. स्थायी वार्ता तंत्र के माध्यम से,
2. संयुक्त सलाहकार तंत्र के माध्यम से,
3. कर्मचारी कल्याण निध (सदस्यता या प्रतिनिधित्व),
4. श्रमिक मंत्रणा कमेटी (लेबर एडवाइजरी कमेटी) के माध्यम से भागीदारी,
5. स्टॉफ कमेटी (कुछ महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर),
6. यूनियन को कार्ड पास,
7. बैठकों में शामिल होने के लिये पास तथा विशेष आकस्मिक छुट्टी,
8. भवन निर्माण के लिये भूमि अथवा किराये पर कार्यालय के लिये स्थान तथा टेलीफोन,
9. पूर्व अनुमति के साथ रेलवे मैदान पर सभाओं की स्वीकृति,
10. रेलवे परिसर पर नोटिस बोर्ड का स्थान,

11.रेलवे बोर्ड के पत्रों की प्रतिलिपियाँ,

12.वेतन काउण्टर से 20 गज दूर रहकर वेतन वाले दिन चन्दा एकत्रित करना,

13.दो मास का नोटिस दिये बिना यूनियन पदाधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता,

14.पेंशन/भविष्य निधि/अनुदान से सम्बन्धित रेल इतर सेवा शुल्क मान्यता प्राप्त यूनियनों से इनके लिये नहीं काटा जायेगा–

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त परिसंघ के मामलें में दो व्यक्ति,

(ख) क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के मामलें में दो व्यक्ति,

(ग) प्रत्येक मण्डल पर प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के मामलें में एक व्यक्ति।

(10) रेल यूनियनों को मान्यता प्रदान करना :

रेल यूनियनों को मान्यता प्रदान तथा उसे जारी रहने देना सरकार के विवेक पर निर्भर है। परन्तु जब एक बार मान्यता दे दी जाये तो उसे उचित कारण के बिना और यूनियन को ''कारा बताओं'' का अवसर दिये बिना वापिस नहीं लिया जा सकता। सामान्यतः किसी यूनियन को मान्यता देना और उसे जारी रखना तभी स्वीकार्य होगा यदि वह निम्नलिखित शतों को पूरा करें :–

i. यह रेलवे कर्मचारियों की एक विलग श्रेणी के लिये गठित किया गया हो और किसी जाति, जनजाति या धार्मिक समुदाय पर आधारित न हो न ही किसी ऐसी जाति, धर्म आदि के किसी एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता हो।

ii. एक ही श्रेणी के सभी रेलवे कर्मचारी इसके सदस्य बन सकते हों।

iii. इसका पंजीकरण ट्रेड यूनियन कानून के अन्तर्गत हुआ हो।

शर्तें :

1. यूनियन भारतीय ट्रेड यूनियन कानून, 1926 के अधीन पंजीकृत हो।
2. यूनियन इस बात से सहमत हो कि उनके सभी अभ्यावेदन केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के द्वारा महाप्रबन्धक को प्रस्तुत होंगे तथा यूनियन की शाखाओं से प्राप्त अभ्यावेदन भी केन्द्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से प्रस्तुत होंगे।
3. यूनियन इस बात से सहमत हो कि उन्हें यूनियन की बैठकों में भाग लेने तथा यूनियन के काम–काज करने के लिये रेलवे कर्मचारियों को देय छुट्टी, पास अधिनियम पर ही प्रदान किये जायेगें। प्रशासन के प्रमुख्य से भेंट के लिये बुनायें जाने वाले यूनियन कार्यकर्ता को विशेष छुट्टी तथा विशेष पास दिये जायेगें जो उसकी आकस्मिक छुट्टी अथवा सुविधा पासों में गिने नहीं जायेगें। इन पासों की संख्या रेलवे प्रशासन तय करेगा।
4. रेलवे प्रशासन तथा यूनियन के आपसी समझौते के आधार पर उचित संशोाधनों को छोड़ यूनियन के नियम निम्न प्रकार से होगें :–
   i. यूनियन का नाम ..... है।
   ii. यूनियन का मुख्यालय ..... पर स्थित है।
   iii. यूनियन के उद्देश्य भारतीय ट्रेड यूनियन कानून 1926 के अन्तर्गत परिभाषित अथवा स्वीकार्य हैं।
   iv. यूनियन की सर्वोच्च शक्ति उनके सदस्यों की आम सभा के पास होगी और इसका प्रयोग निर्धारित तरीके से होगा।
   v. सदस्यों की सामान्य समिति की गतिविधियाँ इस प्रकार होगी–
      a. वार्षिक सामान्य बैठक,
      b. वार्षिक सामान्य बैठक के लिये निर्धारित तरीके बुलाई गई कोई अन्य बैठक।

(11) जुर्माना :

कानून के अनुसार नोटिस, विवरण, कागजात आदि नहीं भेजने पर सभी पदाधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति या कार्यकारिणी सदस्य दोषी होगें और उन पर जुर्माना किया जायेगा जो प्रति व्यक्ति अधिकतम 50 रूपये होगा। जानबूझकर गलत विवरण रजिस्ट्रार को देने पर 500 रूपये तक जुर्माना होगा। अपने सदस्यों को या सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को गलत सूचनायें देने पर 200 रूपये तक जुर्माना होगा। (धारा 31, 32)